




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 47]
No. 47]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 1987/फाल्गुन 12, 1908
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 1987/PHALGUNA 12, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

कार्मिक और लोक शिक्षा तथा पेशा मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1987

संकल्प

संख्या 27(21) - ई. प्रो. /86(ए.सी.सी.) :- केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सुदृढ़ प्रबन्धकीय कार्मिक नीति बनाने के उद्देश्य से विशेष रूप से उच्चतर स्तर के प्रबन्धकीय पदों के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 30 अगस्त, 1974 के संकल्प द्वारा एक सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पी. ई. एस. बी.) का स्थापना की थी। 9 जुलाई, 1986 से सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बोर्ड का सचिवालय लोक उद्यम विभाग से स्थानांतरित होकर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में आ जाने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड को व्यापक पुन-रोक्षा की गई है तथा बोर्ड के कार्यों, सदस्यता तथा चयन की पद्धति तथा प्राधारभूत ढांचे के संबंध में नीति की निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय किया गया है।

2. उद्देश्य तथा कार्य : सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, अब से, व्यापक स्वायत्तता के साथ, एक व्यवसायिक निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :-

- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (स्तर-I) तथा कार्यात्मक निदेशक (स्तर-II) के पदों और साथ ही सरकार द्वारा यथाविवक्षित किसी अन्य स्तर के वृद्धि पर पदों पर कार्मिकों के चयन तथा तैनाती के लिए जिम्मेदारी;
- उपर्युक्त स्तरों के कार्मिकों की नियुक्ति, स्थायीकरण अथवा कार्यकाल में वृद्धि तथा सेवाओं की समाप्ति से संबंधित मामलों में सरकार की सलाह देना;
- सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रत्येक समूह के लिए बोर्ड-स्तर तथा वरिष्ठ प्रबन्ध, कार्मिकों के वांछित ढांचे के संबंध में सरकार की सलाह देना;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में तथा ऐसे उद्यमों में प्रबन्धकीय कार्मिकों—पदों के संबंध में एक उपयुक्त कार्यनिष्पादन मूल्यांकन पद्धति के बारे में सरकार की सलाह देना;

- (v) डाटा बैंक का बनाया जाना जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा इसके अधिकारियों के कार्य निष्पादन के संबंध में डाटा होंगे;
- (vi) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रबन्धकीय कार्मिकों के लिए आचरण तथा नीति विषयक संहिता के बनाने तथा उसके लागूकरण के संबंध में सरकार को सलाह देना;
- (vii) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रबन्धकीय कार्मिकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रमों के बनाए जाने के संबंध में सरकार को सलाह देना।

3. बोर्ड का गठन : सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड में एक अंशकालिक अध्यक्ष पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका सार्वजनिक अथवा प्राइवेट निगमों, अथवा लोक प्रशासन में दीर्घकालीन तथा उत्कृष्ट कैरियर रहा हो तथा जिनका बेहतर हो कि कामिक वित्त, उत्पादन अथवा विपणन के क्षेत्र में उपलब्धियों का प्रमाणिक रिकार्ड हो। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के तीन पूर्णकालिक सदस्यों की संरचना निम्न प्रकार होगी :-

- (क) सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्यम का कोई विख्यात भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
- (ख) कोई विख्यात व्यवहार विश्लेषण (वैज्ञानिक) जिसे उच्चतर प्रबन्ध कार्मिकों के चयन का अनुभव हो;
- (ग) विख्यात भूतपूर्व सिविल कर्मचारी जिसका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्ध अथवा वित्त, उद्योग अथवा आर्थिक कार्यों के क्षेत्रों में अनुभव हो।

4.1 चयन : एक समिति जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे। अध्यक्ष तथा सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए वर्यता क्रम में नामों के पैनल की सिफारिश करेगा;

- (क) मंत्रिमंडल सचिव,
- (ख) सचिव (कार्मिक),
- (ग) सचिव (वित्त);
- (घ) सचिव (सार्वजनिक उद्यम)

4.2 समिति की सिफारिशों को मंत्रिमंडल को नियुक्ति समिति को पस्तुत किया जाएगा।

5. कार्यविधि तथा आयु-सीमा : सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष/सदस्य जिस तारीख से वे कार्यभार ग्रहण करते हैं उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक वे 65 वर्ष की आयु के नहीं हो जावें तब तक के लिए, इनमें जो भी पहले हो, कार्य करेगा। वे दूसरी बार पुनर्नियुक्ति के विचारण के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे 65 वर्ष से कम आयु के हों।

6. वेतन तथा भत्ते : नियुक्ति की शर्तें :-

- (i) नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाएगी।
- (ii) अध्यक्ष तथा सदस्यों का वेतन, भारत सरकार के सचिव के संशोधित वेतनमान के समान तथा समकक्ष होगा।
- (iii) जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि होने के कारण मंहगाई भत्ते तथा अन्य राहतें भी सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविधित दरों पर अनुज्ञेय होंगी।
- (iv) सेवा की अन्य शर्तें जिनमें भत्ते तथा सुविधाएं भी शामिल हैं, उनका निर्धारण समय-समय पर सरकार द्वारा किया जाएगा।

7.1 चयन की नीति : सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड केवल एक साक्षात्कार बोर्ड नहीं होगा। यह बोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्तर-I और स्तर-II के पदों पर नियुक्ति किए जा सकने वाले व्यक्तियों को ब्रोज करने और उनका पता लगाने के लिए एक प्रन्वेषण समिति (सर्च कमेटी) के रूप में भी कार्य करेगा।

7.2 सरकार की नीति यह है कि स्तर-I और स्तर-II के पदों पर तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित किसी अन्य स्तर के पदों के लिए एक निष्पक्ष और बलुनिष्ठ चयन प्रकृति के माध्यम में उत्कृष्ट व्यावसायिक प्रबन्धकों को नियुक्ति की जाए। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही व्यावसायिक प्रबन्धकों का एक संघ विकसित करने की आवश्यकता को भा स्वीकार किया है। अतः जब तक कि बाहुर से अपेक्षित श्रेष्ठतर उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तब तक बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों में जो कुछ आंतरिक उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। यदि आंतरिक उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो हमारे सार्वजनिक उद्यमों में फारीवार के उसी क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में कार्यरत उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। एक ही क्षेत्र या समूह के सार्वजनिक उद्यमों के बीच और यदि ऐसा संभव न हो तो सार्वजनिक क्षेत्र के समग्र उद्यम के अंतर्गत प्रबन्धकीय कार्मिकों की आवाजाही की कतिपय शर्तों के अर्धान प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेष मामलों में केन्द्रीय सरकार के अर्धान संगठित सेवाओं से नियुक्ति की जा सकती है। ऐसे मामले वे होंगे जबकि विशेष परिस्थितियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में संगठित सेवा के किसी सदस्य का रचना आवश्यक हो या जबकि उद्यम की प्रकृति या इसके कार्यनिष्पादन की स्थिति कमजोर होने के कारण कार्यविधि पर श्रेष्ठ व्यावसायिक प्रबन्धकों को आकृष्ट करना कठिन है।

यह संकल्प उन बातों के विनाय जिन्हें इस अधिकरण से पूर्ण किया या करने का मौव किया गया है, वित्त मंत्राय (लोक उद्यम ध्युरा) के दिनांक 30 अगस्त, 1974 के संकल्प संख्या 5(1)/74-जी. पी. ई. (पी. ई. एन. बी.) तथा बाद में उनमें किए गए संशोधनों का अधिकरण करता है।

प्रादेश

प्रादेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के प्रशासक राजपत्र भाग I खंड I में प्रकाशित किया जाए। यह भी प्रादेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन तथा अन्य सर्वा संबंधित व्यक्तियों को भेज दी जाए।

जे. सी. लिन, स्वायत्ता अधिकारी तथा संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 3rd March, 1987.

RESOLUTION

No. 27(21)-EO/86(CC).—Public Sector Enterprises (PSEs) under the control of the Central Government play a vital role in the development of the national economy. In order to evolve a sound managerial personnel policy for the Public Sector Enterprises and, in particular, to advise government on appointments to the top management posts, the Government of India constituted a Public Enterprises Selection Board (PESB) by a Resolution dated 30th August, 1974. Consequently upon the shift of the secretariat of the PESB from the Department of Public Enterprises to the Department of Personnel & Training from 9th July, 1986, a comprehensive review of the PESB has been made and it has been decided to revise the policy relating to the functions, membership, methodology for selection and infra-structure of the Board, as set out below.

2. Objectives and Functions: The PESB shall, henceforth, function as a professional body with a large measure of autonomy. Its functions shall be:

- (i) to be responsible for the selection and placement of personnel in the posts of Chairman, Managing Director of Chairman-cum-Managing Director (Level-I), and Functional Director (Level-II) in PSEs, as well as in posts at any other level as may be specified by the Government.
- (ii) to advise the Government on matters relating to appointment, confirmation or extension of tenure and termination of the services of personnel of the above mentioned levels;
- (iii) to advise the Government on the desired structure at the Board level, and, for senior management personnel, for each PSE or group of PSEs;
- (iv) to advise the Government on a suitable performance appraisal system for both the PSEs and the managerial personnel in such enterprises;
- (v) to build a data bank containing data relating to the performance of PSEs and its officers;
- (vi) to advise the Government on formulation and enforcement of a Code of Conduct and Ethics for managerial personnel in PSEs;
- (vii) to advise the Government on evolving suitable training and development programmes for management personnel in PSEs.

3. Constitution of the Board.—The PESB shall consist of one part-time or full-time Chairperson and three full-time Members. The Chairperson and Members shall be persons who have had a long and distinguished career in management of public or private corporations or public administration and have a proven record of achievements, preferably, in the field of personnel, finance, production or marketing. The three full time Members of the PESB shall :

- (a) A distinguished former Chief Executive of a PSE;
- (b) A distinguished behavioural scientist with experience in selection of top management personnel;
- (c) A distinguished former civil servant with experience in management of PSEs or in areas of finance, industry or economic affairs.

4.1 Selection.—A Committee comprising the following will recommend a panel of names in order of preference for appointments to the posts of Chairperson and Members:

- (a) Cabinet Secretary,
- (b) Secretary (Personnel),
- (c) Secretary (Finance),
- (d) Secretary (Public Enterprises).

4.2 The recommendations of the Committee will be submitted to the Appointments Committee of the Cabinet (ACC).

5. Tenure and Age-Limit.—The Chairperson/Member of the PESB shall hold office for a term of three years from the date on which he assumes charge or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier. He shall be eligible for consideration for reappointment for a second term subject to the age-limit of 65 years.

6. Pay and Allowances.—Terms and conditions of appointment:—

- (i) The appointment shall be made by the Appointments Committee of the Cabinet (ACC).
- (ii) The pay of the Chairperson and the Members shall be the same and equal to that of Secretary to the Government of India in the revised pay scale.
- (iii) Dearness Allowance and other reliefs on account of increase in the cost of living shall also be admissible at the rates determined from time to time by the Government.
- (iv) The other conditions of service including allowances and benefits shall be as determined by the Government from time to time.

7.1 Selection Policy.—The PESB shall not be a mere Interview Board. It shall also constitute itself into a Search Committee to look out for and identify suitable persons who can be appointed to Level-I and Level-II posts in Public Sector Enterprises.

7.2 The policy of the Government is to appoint through a fair and objective selection procedure outstanding professional managers to Level-I and Level-II posts and posts at any other level as may be decided by the Government from time to time. Government have also recognised the need to develop a cadre of professional managers within the public sector. Hence unless markedly better candidates are available from outside, internal candidates, employed in the public sector enterprises, will be preferred for appointment to Board level posts. If internal candidates are not available, preference will be given to candidates working in other public sector enterprises, either in the same area of business or in other areas. Mobility of managerial personnel among public sector enterprises within the same sector or group, falling within which mobility within the public sector as a whole will be encouraged, subject to certain limitations. In special cases, recruitment may be made from the organised services under the Central Government. Such cases would be where, because of special circumstances, it is necessary to place a member of an organised service in a public sector enterprises or where, because of the nature of the enterprises or its poor health, it would be difficult to attract good professional managers on a tenure basis.

This Resolution supersedes the Ministry of Finance (Bureau of Public Enterprises) Resolution No. 5(1)/74/BPE (PESB) dated 30th August, 1974 and subsequent amendments thereto except things done or committed to be done before such supersession.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-I. Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India Public Sector Undertakings, State Governments/Administration of Union Territories and all other concerned.

J.C. LYNN, Establishment Officer and Jt. Secy.

